जिला कलेक्टर टीना डाबी ने ली जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक

जिले में विद्युत, पेयजल, चिकित्सा व्यवस्था सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर दिए निर्देश

टोंक (सीमा सन्देश संवाददाता)। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने सोमवार को जिले में विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, हीटवेव एवं मौसमी बीमारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एसई राजेश गोयल को भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों की पेयजल समस्या का त्वरित समाधान करने के निर्देश देते हुये पेयजल की कम मात्रा, कम प्रेशर, अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने, दूषित पानी की सप्लाई, लाइनों में लीकेज तथा अवैध नल कनेक्शन से संबंधित समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिये। साथ ही कंट्रोल रूम सहित दूरभाष पर आने वाली शिकायतों का भी उसी दिन समाधान करने का प्रयास करें। जिले में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की जानकारी लेते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि विद्युत आपूर्ति के समय वोल्टेज ठीक रहे, जिन क्षेत्रों में कम वोल्टेज से विद्युत सप्लाई की सूचना मिले वहां विद्युत आपूर्ति में सुधार करें। उन्होने कहा कि विद्युत ट्रिपिंग, फॉल्ट आदि के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित नहीं हो। जिला कलेक्टर ने सीएमएचओ शैलेन्द्र सिंह चौधरी को हीट वेव एवं मौसमी बीमारियों से संबंधित स्थिति की जानकारी लेते हुये कहा कि हीट वेव से बचाव को लेकर आमजन को जागरुक किया जाएं। साथ ही चिकित्सा संस्थानों में पंखे, कूलर, एसी खराब होने पर उन्हें शीघ्र दुरुस्त किया जाएं। गौशालाओं में हीट वेव एवं गर्मी से पशुधन को स्वस्थ्य रखने के लिए पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक राजेन्द्र सिंह को दवाईयों की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए।

आमजन पेयजल को लेकर परेशान नहीं हो : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेश गोयल ने बताया कि आमजन पेयजल को लेकर परेशान नहीं हो, इसे लेकर विभाग पेयजल की आपूर्ति एवं सुधार के लिए त्वरित कार्यवाही कर रहा है। बैठक में एडीएम रामरतन सौकरियां, एडीएम बीसलपुर भूपेन्द्र यादव समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहें।

चोरों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम

मालपुरा (सीमा सन्देश संवाददाता)। मालपुरा थाना क्षेत्र के अंबापुरा गांव में अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। अंबापुर निवासी शंकर सैनी ने बताया कि उनके सभी परिवारजन रात्रि में खेत पर थे इस दौरान अंबापुरा स्थित उनके मकान पर उनके दादाजी कल्याण माली व दादी जी ही थे। रात्रि को अज्ञात चोरों ने घर में प्रवेश कर बक्से में रखे करीब १० लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण व पचास हजार रुपए की नगदी चोरी कर लिए। सवेरे मकान का गेट खुला दिखाई देने पर लगा चोरी का पता।

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 501, सैलकॉन ऑरम, जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली - 110025
सीआईएन: U65900DL2020PLC366027

नीलामी सूचना

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के निम्नलिखित ऋणधारकों को सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा जारी किए गए विभिन्न अनुरोधों और व्यक्तिगत नोटिसों सहित कई नोटिसों के बावजूद, बैंक से लिए गए उनके स्वर्ण ऋणों का समायोजन नहीं किया गया है। सभी ऋणधारकों को सूचित किया जाता है कि बैंक के पास गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषणों की नीलामी करने का निर्णय लिया गया है और तदनुसार नीलामी का समय सुबह 11:00 बजे उस शाखा परिसर में निर्धारित किया गया है जहाँ से ऋण लिया गया था। ऋणधारकों, खाताधारकों और आम जनता सहित सभी लोग नीलामी की शर्तों के अनुसार इस नीलामी में भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि 28.05.2026, सुबह 11:00 बजे है।

क्र.स	शाखा	खाता संख्या	खाता धारक का नाम
1	पुणे तिलक रोड	104242514992	**प्रेम एन खांडपुर**

बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी से किसी भी खाते को हटाने या नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। **प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

(एसी रिटेल सितंबर 2024 - ट्रस्ट (30-सितंबर-24) के न्यासी के रूप में कार्य करते हुए)।
कॉर्पोरेट पहचान संख्या: U67190MH2007PLC17287
कॉर्पोरेट कार्यालय का पता - यूनिट संख्या 22, द्वितीय तल, लॉयड्स सेंटर पॉइंट, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई- 400025
फोन: +91 22 6224 1676 वेबसाइट: www.jmfinancialarc.com

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

आप, नीचे उल्लिखित ऋणधारक/सह-ऋणधारक(ों)/गारंटर(ों)('आप') ने **टाइगर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में अदानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ('टीसीपीएल')** से नीचे उल्लिखित विभिन्न ऋण सुविधाएं ('ऋण') ली हैं और इसके बदले में नीचे उल्लिखित संपत्तियों पर प्रतिभूति हित का निर्माण किया है। चूंकि आपने अपने ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक की है, इसलिए आपके ऋणों को नीचे उल्लिखित अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद, उक्त ऋण(नों) सहित सभी अंतर्निहित प्रतिभूति हित और उसमें निहित सभी अधिकार, स्वामित्व और हित, टीसीपीएल द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('सरफेसी अधिनियम') के प्रावधानों के तहत, **एसी रिटेल सितंबर 2024-ट्रस्ट** ('जेएमएफएआरसी') के न्यासी के रूप में कार्य कर रही **जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के पक्ष में दिनांक 30-सितंबर-24 के असाइनमेंट समझौते के माध्यम से हस्तांतरित कर दिए गए थे। चूंकि आप जेएमएफएआरसी को ऋण(नों) का भुगतान करने में विफल रहे, इसलिए बकाया राशि की वसूली के लिए एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13(2) के तहत एक मांग नोटिस, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है, आपके अंतिम ज्ञात पते पर भेजा गया था, हालांकि यह नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। अतः, उक्त नोटिस की सामग्री को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के सहपठित सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार, आपके वैकल्पिक तामील के रूप में इसके साथ प्रकाशित किया जा रहा है। सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत भेजे गए मांग नोटिस में दावा किए गए ऋणधारक(ों), सह-ऋणधारक(ों), गारंटर(ओं), ऋण(ों), सुरक्षित आस्ति(यों) और बकाया राशि का विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	ऋणधारक का नाम और पता, सह-ऋणधारक/गारंटर, ऋण खाता संख्या और ऋण राशि	सुरक्षित आस्ति का विवरण	गैर-निष्पादित आस्ति के वर्गीकरण की तिथि	1) मांग सूचना की तिथि 2) दिनांक तक बकाया राशि
1	**राजेश मनोहर लाल/ ममता देवी** 105MSM001066991	आबादी खसरा संख्या 1040, ग्राम दुमरोली तहसील - नीमराना, जिला अलवर (राज) में स्थित पट्टा संख्या 74 पर निर्मित व आवासीय प्लाट के समस्त खण्ड व हिस्से, अधिमापन 130.55 वर्ग यार्ड और सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में रोहताश पुत्र हीरा लाल का घर, पश्चिम में रामनरेश पुत्र रोशन का घर, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में मोहन लाल पुत्र बसंत राम का घर।	05-Apr-26	05-मई-26/ 30-अप्रैल-26 के अनुसार रु. 665942/-

अतः आपसे, ऋणी(ओं) और सह-ऋणी(ओं)/गारंटर(ओं) से अनुरोध है कि आप उपर्युक्त मांगी गई राशि का भुगतान, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, अतिरिक्त ब्याज सहित, इस मांग सूचना के 60 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से करें। ऐसा न करने पर, अधोहस्ताक्षरी उपर्युक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को लागू करने के लिए सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत कार्वाई करने के लिए बाध्य होंगे। आपका ध्यान ऊपर उल्लिखित सुरक्षित आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको हमारी सहमति के बिना उपर्युक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा किसी भी प्रकार से हस्तांतरित करने से रोका जाता है।

स्थानः राजस्थान
दिनांक: 20.05.2026

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
कृते जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
(एसी रिटेल सितम्बर 2024 - ट्रस्ट ('जेएमएफएआरसी') के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत)

भौमिया मन्दिर में मूर्ति स्थापना व चादरपोशी कार्यक्रम 28 जून को

सीमा सन्देश संवाददाता

पावटा। कस्बे स्थित भौमिया मन्दिर में मूर्ति स्थापना व चादरपोशी कार्यक्रम को लेकर सोमवार को संत मंगलदास जी महाराज भरतदास जी धाम टोरडा के सानिध्य में बैठक आयोजित की गई बैठक में भौमिया मन्दिर २ल्ल३ सेवादास महाराज की मूर्ति स्थापना एवं चादरपोशी कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। संत मंगलदास महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 जून प्रातः संत सेवादास महाराज की मूर्ति का नगर भ्रमण व मूर्ति स्थापना कार्यक्रम तत्पश्चात संतो व ग्रामीणों की उपस्थिति में चादरपोशी कार्यक्रम रहेगा । इस अवसर पर भण्डारे के साथ भजन कीर्तन सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे । कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मन्दिर से जुड़े लोगों एवं ग्रामीणों को जिम्मेदारी दी गई । इस अवसर पर मन्दिर से जुड़े लोग एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे ।

आज बंद रहेंगे मेडिकल स्टोर, मालपुरा केमिस्टों ने सौंपा ज्ञापन

मालपुरा (सीमा सन्देश संवाददाता)। राजस्थान केमिस्ट एलायंस तथा राष्ट्रीय संगठन आल इंडिया आगेर्नाइजेशन आफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट अपनी मांगों को लेकर आगामी आज २० मई को उपखण्ड क्षेत्र के सभी मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। इस को लेकर कस्बे के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने प्रशासन को अग्रीम सूचना के लिए ज्ञापन सौंपा है और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए मालपुरा केमिस्ट एसोसियन के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता के नेतृत्व में जिला कलक्टर के नाम उपखंड अधिकारी कपिल शर्मा को ज्ञापन सौंपा।

कार्यालय नगरपालिका मण्डल सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

क्रमांक/ई–निविदा/2026–27/360 दिनांक : 15.05.2026

–: पुन: ई–निविदा सूचना संख्या 09/2025–26 :–

नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा ई–निविदा सूचना क्रमांक 350–358 दिनांक 15.05.2026 द्वारा 01 (एक) कार्य हेतु निम्न यूबीएन क्रमांक से दिनांक 08.06.2026 को 06:00 PM तक ऑनलाईन ई–निविदा आमन्त्रित की जाती है, निविदा https://sppp.rajasthan.gov.in व https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती हैं।

NIB No: DLB2627A1812
UBN No: DLB2627WSRC04816

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका सूरतगढ़

प्रशासक एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

राज.संवाद/सी/26/3068

कार्यालय नगरपालिका मण्डल सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

क्रमांक/ई–निविदा/2026–27/338 दिनांक : 14.05.2026

–: ई–निविदा सूचना संख्या 05/2026–27 :–

नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा ई–निविदा सूचना क्रमांक 328–336 दिनांक 14.05.2026 द्वारा 01 (एक) कार्य हेतु निम्न यूबीएन क्रमांक से दिनांक 21.05.2026 को 06:00 PM तक ऑनलाईन ई–निविदा आमन्त्रित की जाती है। ई–निविदा https://sppp.rajasthan.gov.in व https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती हैं।

NIB No : DLB2627A1792

Work No	UBN No
Work No 01	DLB2627WSRC04731

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका सूरतगढ़

प्रशासक एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

राज.संवाद/सी/26/3061

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

shubham
कार्पोरेट कार्यालय : 425, उद्योग विहार फेस -IV, गुरूग्राम -122015 (हरियाणा)
फोन: 0124-4212530/31/32, ईमेल : customercare@shubham.co, वेबसाईट - www.shubham.co

अचल संपत्ति/(यों) की नीलामी सह विक्रय हेतु आम सूचना

नियम 8 (6) / 9 (1) एवं परिशिष्ट –IV– ए के प्रावधानों के अनुसार अचल सपंतियों के विक्रय की आम सूचना
(सिक्योटराईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंट्रेस्ट एक्ट 2002, के अंतर्गत)

जहाँ कही, अधोहस्ताक्षरकर्ता शुभम हाऊसिंग डेवलपमेंट फायनेंस लिमिटेड (यहाँ आगे कंपनी कहा जायेगा) के प्राधिकृत अधिकारी में से एक हैं। अधोहस्ताक्षरकर्ता शुभम हाऊसिंग डेवलपमेंट फायनेंस लिमिटेड के बतौर प्राधिकृत अधिकारी सिक्यूरीटाईजशेन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेन्सियल एस्टेटस एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंट्रस्ट (इफोर्समेंट) नियम 2002 (अधिनियम) का नियम 9 के अनुपालन के साथ सिक्युरिटी इंट्रस्ट (इंफोर्समेंट) रुल्स, 2002 (नियम) नियम 9 में प्रदत्त शक्तियों को सपठित धारा 13 (2) के अंतर्गत नीचे संबंधित ऋणकर्ताओं जिनके नाम नीचे कॉलम (सी) में तिथि पर जो कॉलम (डी) में और चुकाये जाने वाली शेष राशि कॉलम (ई) में दशाई गई है, को प्रत्येक खातें में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान उपरोक्त सूचना की प्राप्ती दिनांक / सूचना की दिनांक से 60 दिवस में करने हेतु बुलाया गया था।

ऋणकर्ता/ओं राशि का भुगतान करने में असफल रहे है, इस एतद सूचना द्वारा ऋणकर्ता/ओं को एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नियम की धारा 13 (4) के साथ सपठित उपरोक्त नियम 9 के अंतर्गत उनको / उन्हे प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के समक्ष दर्शायी गयी दिनांक को नीचे कॉलम (एफ) में दर्शाई वर्णित सम्पत्ति / यों पर नीचे कॉलम (एच) दर्शाई तिथि को अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता को विशेष तौर पर एवं आम जनता को सामान्य तौर पर सावधान किया जाता है कि कॉलम (एफ) में दर्शाई संपत्तियों के साथ संव्यवहार न करें और इन संपत्तियो के साथ कोई भी व्यवहार कॉलम (जी) में दर्शाई राशि के लिए शुभम हाऊसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रभार के अंतर्गत होगा । अब, ऋणकर्ताओं और आम जनता को यह सूचना भी दी जाती है कि प्रत्येक संपत्ति के लिये कॉलम (के) में दर्शाई तिथि, समय और स्थान पर संपत्तियों का विक्रय किया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदन संख्या	ऋणकर्ता (ओं) का नाम एवं पता	धारा 13(2) के तहत सूचना की तिथि	मांग सूचना राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	वर्तमान देय राशि (14.05.2026 तक)	अधिकरण की तिथि एवं प्रकार	आरक्षित राशि (रु.)	ईएमडी (रु.) आरक्षित मूल्य का 10%	नीलामी की तिथि, समय व स्थान
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई	जे	के
1.	0SKR230 50000050 62375	भंवर लाल, फूली, तुर्कसिया घाना निकट तुर्कसिया, सीकर, राजस्थान –332312	14-07-2025	₹ 8,21,322/-	बुक नंबर 62, पट्टा नंबर 03 ग्राम तुरकासिया ग्राम पंचायत धिरानिया बड़ा PS लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर, राजस्थान – 332312 / क्षेत्रफल 2700 वर्ग फीट / चतुर्सीमाः (पूर्व – रास्ता, पश्चिम – रामेश्वर / मुन्ना राम की संपत्ति, उत्तर – सार्वजनिक सड़क, दक्षिण – सुनील पुत्र भंवर लाल की संपत्ति)	₹ 9,93,871/-	22-09-2025 (सांकेतिक)	₹ 10,26,000/-	₹ 1,02,600/-	22-06-2026, 10:00 AM to 4:00 PM, तीसरी मंजिल, ई–6, निर्माण नगर, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान –302019

नोट : कंपनी की जानकारी के अनुसार उपरोक्त संपत्तियों पर कोई भार नहीं हैं।
नीलामी सह विक्रय के लिए नियम व शर्ते

आम नीलामी के लिए नियम व शर्ते : – बोली आमंत्रण द्वारा आम नीलामी की प्रक्रिया एवं नियम व शर्ते:

1. **सम्पत्तियों का निरीक्षण 19/06/2026 को प्रातः 10:00 बजे से सायं. 4:00 बजे के मध्य किया जा सकता है।**
2. विक्रय सरफेसी एक्ट / रुल्स 2002 के और इच्छुक / भागीदार बोलीकर्ताओं द्वारा जमा किये गये प्रस्ताव / बोली दस्तावेज के अनुसार यहाँ दर्शाई गई नियम व शर्तो के अनुसार उस पर कड़ाई से लागू शर्तो अनुसार होगा। इच्छुक बोलीकर्ताओं द्वारा जमा किए गए प्रस्ताव / निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई नियम व शर्तो के अनुसार विक्रय होगा।
3. बोलीया एक मोहरबंद लिफाफे में जमा धरोहर राशि (ईएमडी) सहित अपने प्रस्ताव किसी अधिसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के द्वारा स्थानीय शुभम हाऊसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कंपनी में भुगतान योग्य प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा करें। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। बोली आवेदन के साथ प्रस्तावित बोलीदाता को उसका / उसकी पहचान पत्र / केवाईसी मानदंड आवास का प्रमाण पत्र जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, निर्वाचन आयोग कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस आदि की छायाप्रति संलग्न करना होगी एवं आय कर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की छायाप्रति अनिवार्य है।
4. **धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 20/06/2026 को प्रातः 10:00 बजे से सायं. 4:00 बजे के मध्य किया जा सकता है।**
5. अंत में संपत्ति की दर्शाई आरक्षित मूल्य से कम पर विक्रय नहीं होगी।
6. विक्रय की तिथि पर सभी बोलियाँ खोली जायेगी संपत्ति दिये गये आरक्षित मूल्य से उच्चतम बोलीकर्ता को विक्रय की जायगी । यद्यपि उपस्थित बोलीकर्ता अपनी बोली बढ़ाने का अधिकार रखते हैं, न्यूनतम 5000/– (रुपये पाँच हजार मात्र) और उच्चतम प्रस्तावित मूल्य को कंपनी को स्वीकार करने का अधिकार है। सफल बोलीकर्ता / क्रेत द्वारा निर्धारित राशि (धरोहर राशि सहित) का 25% (पच्चीस प्रतिशत) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विक्रय के संबंध में स्वीकार करने के तुरंत / उसी दिन या बोली समाप्त होते ही करनी होगी, जिसकी प्राप्ति पर विक्रय की पुष्टि होगी। समय में विस्तार का निवेदन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निमय व शर्तो के अंतर्गत उसके एकल निर्णय के अनुसार होगा। बोली समाप्त होने के तुरंत बाद उच्चतम बोलीकर्ता 25 प्रतिशत राशि जमा करने में असफल होता है तो तब उच्चतम बोलीकर्ता द्वारा जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी एवं सम्पत्ति द्वितिय उच्चतम बोलीकर्ता को प्रस्तावित की जायेगी। सफल बोलीकर्ता / क्रेता द्वारा निलामी राशि का शेष राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विक्रय के संबंध में स्वीकार करने के पन्द्रह दिन के भीतर अथवा लिखित में प्रधिकृत अधिकारी द्वारा विस्तार की गई अवधि में जमा करनी होगी। शेष विक्रय राशि के भुगतान में चूक होने पर निर्धारित अवधि में, जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी और सुरक्षित लेनदार पुनः बिक्री के लिए स्वतंत्र हो जायेगा तथा चूककर्ता क्रेता को क्रय के लिए पहले किये गए भुगतान के किसी भाग को जब्त तथा संपत्ति या उसके किसी अंश से संबंधित सभी दावे समाप्त समाप्त माने जाएगे।
7. क्रेता द्वारा सभी भुगतान डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर द्वारा शुभम हाऊसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कंपनी लिमिटेड के पक्ष में करने होंगे।
8. विक्रय का क्रेता द्वारा पूर्ण भुगतान करने पर, कंपनी क्रेता के पक्ष में एक सेल सर्टिफिकेट जारी करेगी तथा संपत्ति का अधिग्रहण क्रेता को सौंपा देगी।
9. यहाँ दर्शाई अचल संपत्ति अधोस्ताक्षरकर्ता द्वारा पुष्टीकरण की तिथि के बाद आग द्वारा हानि या क्षय, चौरी या अन्य दुघर्टना, अन्य खतरे पूर्णः पेश सफल क्रेता के एकल जोखीम पर होगी। सफल बोली दाता को उक्त बिक्री को किसी भी आधार पर रदद करने का अधिकार नहीं होगा।
10. असफल बोलीकर्ताओं द्वारा धरोहर राशि के लिये जमा किये गये डिमांड / पे आर्डर वापस कर दिये जायेंगे।
11. संपत्ति 'जहाँ है, जैसी है' एवं 'जैसी है वैसी है एवं बिना किसी सहारे' के आधार पर विक्रय होगी। कंपनी को उपरोक्त संपत्तियों पर किसी भार की जानकारी नहीं है।
12. सभी व्यय स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज, ट्रांसफल चार्ज अतिदेय सहित कोई अन्य बकाया क्रेता द्वारा भुगतान किया जाएगा।
13. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव या किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और कंपनी किसी या सभी बोली को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार रखते हैं।
14. बिक्री प्रक्रिया में बोलीकर्ताओं / प्रस्तावकर्ताओं या उनके प्रधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त किसी अन्य को भागीदारी की अनुमति नहीं होगी ।
15. उपरोक्त नीलामी प्रक्रिया में यदि सभी लागत, अधिभारों और कंपनी द्वारा किए सभी खर्चो सहित उपरोक्त ऋणकर्ता द्वारा, नीलामी की तय तिथि के किसी भी समय पूर्व सेक्शन 13 (8) के अंतर्गत सम्पूर्ण राशि का भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं, तब संपत्ति विक्रय नहीं की जायेगी तथा भावी बोलीकर्ताओं द्वारा जमा की गई बोलीकंपनी के विरुद्ध बिना किसी देयता / दावे के वापस कर दी जायेगी।
16. यह सूचना उपरोक्त ऋणकर्ता के लिये सिक्योरिटी इंट्रेस्ट एनफोर्समेंट रुल्स 2002 के रुल 8 (6) एवं परिशिष्ट IVA के अंतर्गत एक नोटिस है, ग्राहक के कॉलम सी एवं एफ में दर्शाये पते पर ।
17. विस्तृत नियम व शर्तो के लिये कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाईट अर्थात् www.shubham.co रेफर करें।
18. अधिक जानकारी, स्पष्टता या किसी भी सहायता के लिए प्राधिकृत अधिकारी – **श्री राजेश राठौर** से मोबाइल नंबर: **9610964607** पर संपर्क किया जा सकता है।

स्थान : गुरूगाम
दिनांक: 19-05-2026

प्राधिकृत अधिकारी
शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

रात्रि चौपाल एवं किसान वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ

मालपुरा (सीमा सन्देश संवाददाता)। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसन्धान संस्थान अविकानगर ने भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के फ्लैगशिप प्रोग्राम मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत मालपुरा के मलिकपुर गाँव में रात्रि चौपाल एवं किसान वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। निदेशक डॉ अरुण कुमार तोमर ने कार्यक्रम मे आये किसानों को मिट्टी की पोषक तत्व की जाँच अनुसार ही रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने की सलाह दी। वर्तमान मे बढते मिट्टी मे रासायनिक खाद का असर, कीटनाशक की भी बढती मात्रा को कम करने के लिए सभी किसानों को ऑर्गेनिकफॉर्मिंग को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया। जिससे उनसे होने वाली समस्या को कम कर भविष्य मे हमारी पीढी को बचाया जा सके। कार्यक्रम में संस्थान संस्थान निदेशक डॉ अरुण कुमार तोमर की अध्यक्षता एवं मार्गदर्शन में आयोजित कर डॉ सत्यवीरसिंह डागी ने पशुओं में पोषण प्रबन्धन, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, पशु प्रजनन प्रबंधन, गर्मियों में पशुओं का प्रबन्धन विषयों पर किसानों को जागरूक किया। साथ ही पशुओं के विभिन्न बीमारियों के लिए परामर्श भी दिया गया तथा पशुपालकों को मिनरल मिक्सचर वितरित करते हुई उनकी पशुओ मे उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में 13 महिला किसानों सहित कुल 72 से अधिक किसानों, पशुपालकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में संस्थान के तकनीकी अधिकारी दिनेश कुमार यादव का सहयोग रहा। निदेशक डॉ अरुण कुमार तोमर द्वारा सभी उपस्थित गांववासियो को वर्तमान ग्लोबल क्राइसिस मे देशहित प्रधानमंत्री द्वारा जारी सभी अपील (पेट्रोल डीजल बिजली, सोना, चांदी, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाई, खाद्य तेल आदि का विवेकपूर्ण उपयोग) की पूर्णता पालन करने का भी निवेदन किया। उपरोक्त कार्यक्रम मे डॉ मेघा पांडे, डॉ राजेश बिश्नोई, डॉ अमरसिंह मीना, डॉ मीनाक्षी मीना, अंशुल शर्मा, सूरजकरण चौधरी सरपंच ने भी पूरा सहयोग एवं आपसी संवाद मे भाग लिया।

कीर समाज का विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन 25 मई को, आयोजन मण्डल ने शुरू की तैयारियां

टोंक (सीमा सन्देश संवाददाता)। टोंक जिला मुख्यालय पर 25 मई 2026 को होने वाले विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ हो गई है। समिति के प्रचार मंत्री जितेन्द्र धीवर ने बताया कि 25 मई को कीर कहार केवट कश्यप स्वजातीय समाज का विशाल प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है। जिसमें 101 जोडों का पाणिग्रहण संस्कार कीर समाज के छावनी टोंक के राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी सीताराम निम्बार्क के सानिध्य में सम्पन्न होंगे। राजू कश्यप एड. ने बताया कि 24 मई को विशाल कलश यात्रा तेजा जी मंदिर चतुर्भुज तालाब से घंटाघर होते हुए कीर समाज के छावनी मंदिर तक बेंडबाजे से निकाली जाएगी। सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर चल रही है तथा समिति के पदाधिकारियों की देखरेख में भोजन बनाने के लिए भट्टिया जेसीबी मशीन से बनाई जा रही है। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष रमेश मेहरा अहमदाबाद वाले, संरक्षक पप्पू समरवाल, सचिव रमेश, मुकेश कश्यप, समाजसेवी रामजीलाल पटेल, मंदिर अध्यक्ष ग्यारसीलाल धीवर, राम गोपाल समरवाल, राम अवतार आढ़तिया, नाथूलाल, शिवजीलालए प्रभूलाल, प्रभात ठेकेदार, मोहनलाल कम्पाउंडर, विनोद धीवर हलवाई सहित अन्य सदस्य तैयारियों में लगे हुये है।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर तीन वाहनों की भिड़ंत, एक घंटे लगा जाम, धूल से राहगीर परेशान

पावटा (सीमा सन्देश संवाददाता)। कस्बे में मंगलवार सुबह दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे से अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हादसे में तीन वाहन आपस में टकरा गए, जिससे कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई। प्रागपुरा थाना पुलिस के अनुसार एक मिनी ट्रक ने आगे चल रही ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि सड़क किनारे खड़ी एक कार भी इसकी चपेट में आ गई। हादसे में तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात को संभालते हुए यातायात व्यवस्था सुचारू करने के प्रयास शुरू किए। दुर्घटना के चलते करीब एक घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात को सामान्य कराया। हादसे के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली से बड़ी मात्रा में ईंटें सड़क पर बिखर गईं। लगातार वाहनों के गुजरने से ईंटें पिसकर धूल में बदल गईं, जो हवा के साथ उड़ने लगी। इससे आसपास के दुकानदारों, स्थानीय लोगों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

(एसी रिटेल सितंबर 2025 - ट्रस्ट (30-सितबर-25) के न्यासी के रूप में कार्य करते हुए)।
कॉर्पोरेट पहचान संख्या: U67190MH2007PLC17287
कॉर्पोरेट कार्यालय का पता - यूनिट संख्या 22, द्वितीय तल, लॉयड्स सेंटर पॉइंट, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई- 400025
फोन: +91 22 6224 1676 वेबसाइट: www.jmfinancialarc.com

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

आप, नीचे उल्लिखित ऋणधारक/सह-ऋणधारक(ों)/गारंटर (ों)('आप') ने **टाइगर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले अदानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ('टीसीपीएल')** से नीचे उल्लिखित विभिन्न ऋण सुविधाएँ ('ऋण') प्राप्त की हैं और इसके बदले में नीचे उल्लिखित परिसंपत्तियों पर प्रतिभूति हित बनाया है। चूँकि आपने अपने ऋण(ों), आपके ऋण(ों), का भुगतान करने में चूक की है, इसलिए आपके ऋण/ऋणों को नीचे उल्लिखित गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद, उक्त ऋण (ऋणों) को सभी अंतर्निहित प्रतिभूति हित और उसमें सभी अधिकारों, शीर्षक और हित के साथ टीसीपीएल द्वारा प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('सरफेसी अधिनियम') के प्रावधानों के तहत जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पक्ष में सौंपा गया, जो 30 सितम्बर 2025 के असाइनमेंट समझौते के तहत एसी खुदरा 2025 - ट्रस्ट ('जेएमएफएआरसी') के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य कर रहा है। चूँकि आप ('जेएमएफएआरसी') को ऋण का भुगतान करने में विफल रहे, इसलिए बकाया राशि की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत एक डिमांड नोटिस, जैसा कि विशेष रूप से नीचे उल्लेख किया गया है, आपके अंतिम ज्ञात पतों पर भेजा गया था, हालाँकि यह बिना तामील हुए वापस आ गया। अतः, उक्त नोटिस की सामग्री को सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अनुसार वैकल्पिक रूप से आप तक पहुँचाई जा रही है। सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत भेजे गए डिमांड नोटिस के तहत दावा किए गए ऋणधारक(ों), सह-ऋणधारक(ों), गारंटर(ओं), ऋण(ओं), सुरक्षित संपत्ति(ओं), बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	ऋणधारक का नाम और पता, सह-ऋणधारक/गारंटर, ऋण खाता संख्या और ऋण राशि	सुरक्षित आस्ति का विवरण	गैर-निष्पादित आस्ति के वर्गीकरण की तिथि	1) मांग सूचना की तिथि 2) दिनांक तक बकाया राशि
1	अशोक कुमार / सुनीता अशोक कुमार / 103MSM001054814	प्लॉट संख्या 65, वार्ड संख्या 5, चक 25, पीएसबी स्क्वायर संख्या 25, किला संख्या 7, रायसिंहनगर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान में स्थित आवासीय मकान पर खडे ढांचे व भूखण्ड सहित समस्त खंड व हिस्से, कुल अधिमापन 25 × 40 वर्ग फीट और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व - गोपाल राम, पश्चिम - दीवान चंद, उत्तर सड़क, दक्षिण - अन्य संपत्ति।	3 अगस्त 25	05-मई-26/ 30-अप्रैल-26 के अनुसार रु. 1447377/-
2	राधा गोपालराम / अमरा राम / 103MSM001115682	गाँव खितेयेरांन, तहसील लूनकरनसर, जिला बीकानेर, राजस्थान में स्थित पट्टा संख्या 45, मिसल संख्या 45 के भाग के अंतर्गत नियमित आवासीय संपत्ति के भूखंड के समस्त खण्ड व हिस्से, नाप भूखण्ड 1960 वर्ग फीट जो सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व - बीरबल राम, पश्चिम - शेष दान में मिली भूमि, उत्तर - गली, दक्षिण - तिलोक्रम	5 अप्रेल 25	05-मई-26/30-अप्रैल-26 के अनुसार रु. 378263/-

अतः आपसे, ऋणी(ओं) और सह-ऋणी(ओं)/गारंटर(ओं) से अनुरोध है कि आप उपर्युक्त मांगी गई राशि का भुगतान, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, अतिरिक्त ब्याज सहित, इस मांग सूचना के 60 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से करें। ऐसा न करने पर, अधोहस्ताक्षरी उपर्युक्त सुरक्षित आस्तियों को लागू करने के लिए सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। आपका ध्यान ऊपर उल्लिखित सुरक्षित आस्ति(यों) के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको हमारी सहमति के बिना उपर्युक्त सुरक्षित आस्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा किसी भी प्रकार से हस्तांतरित करने से रोका जाता है।

स्थानः राजस्थान
दिनांक: 20.05.2026

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
कृते जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
(एसी रिटेल सितम्बर 2025 - ट्रस्ट ('जेएमएफएआरसी') के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत)

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

(मॉर्गेज रिटेल ए 2024 - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत)
कार्पोरेट पहचान संख्या: U67190MH2007PLC17287
कॉर्पोरेट कार्यालय का पता - यूनिट संख्या 22, द्वितीय तल, लॉयड्स सेंटर पॉइंट, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई- 400025
फोन: +91 22 6224 1676 वेबसाइट: www.jmfinancialarc.com

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

आप, नीचे उल्लिखित ऋणधारक/सह-ऋणधारक(ों)/गारंटर (ों)('आप') ने **टाइगर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले अदानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ('टीसीपीएल')** से नीचे उल्लिखित विभिन्न ऋण सुविधाएँ ('ऋण') प्राप्त की हैं और इसके बदले में नीचे उल्लिखित परिसंपत्तियों पर प्रतिभूति हित बनाया है। चूँकि आपने अपने ऋण(ों), आपके ऋण(ों), का भुगतान करने में चूक की है, इसलिए आपके ऋण/ऋणों को नीचे उल्लिखित गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद, उक्त ऋण (ऋणों) को सभी अंतर्निहित प्रतिभूति हित और उसमें सभी अधिकारों, शीर्षक और हित के साथ टीसीपीएल द्वारा प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('सरफेसी अधिनियम') के प्रावधानों के तहत जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पक्ष में सौंपा गया, जो 30 जून 2025 के असाइनमेंट समझौते के तहत बंधक खुदरा **ए 2024 - ट्रस्ट ('जेएमएफएआरसी') के** ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य कर रहा है। चूँकि आप ('जेएमएफएआरसी') को ऋण का भुगतान करने में विफल रहे, इसलिए बकाया राशि की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत एक डिमांड नोटिस, जैसा कि विशेष रूप से नीचे उल्लेख किया गया है, आपके अंतिम ज्ञात पतों पर भेजा गया था, हालाँकि यह बिना तामील हुए वापस आ गया। अतः, उक्त नोटिस की सामग्री को सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अनुसार वैकल्पिक रूप से आप तक पहुँचाई जा रही है। सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत भेजे गए डिमांड नोटिस के तहत दावा किए गए ऋणधारक(ों), सह-ऋणधारक(ों), गारंटर(ओं), ऋण(ों), सुरक्षित आस्ति(ओं), बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	ऋणधारकों का नाम और पता, सह-ऋणधारकों/गारंटरों, ऋण खाता संख्या और ऋण राशि	सुरक्षित आस्ति का विवरण	गैर-निष्पादित आस्ति के वर्गीकरण की तिथि	1) मांग सूचना दिनांक 2) बकाया देय
1	राणा राम/ रेखा देवी/ 103MSM001117987	पट्टा संख्या 4238 का भाग, ग्राम गुरा देवदान सोलंकियां, तहसील देसुरी, जिला पाली में स्थित संपत्ति के सभी खण्ड व हिस्से, अधिमापन क्षेत्र4680 वर्ग फीट, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में आश्रम देवासी की भूमि, पश्चिम में पडत भूमि, उत्तर में जोताराम/नथाराम, दक्षिण में विक्रेता का शेष भाग।	04-Dec-25	05 मई 2026/ रु.877602/- दिनांक 30 अप्रेल 2026 के अनुसार
2	सत्यनारायण धाकड़/विद्या बाई/ 103MSM001052807 / KTABLS000029689	ग्राम कारवार, ग्राम पंचायत कारवार, पंचायत समिति नैनवा, बूंदी, राजस्थान में स्थित पट्टा संख्या 50 की संपत्ति के सभी खण्ड व हिस्से, भूमि का क्षेत्र 1328.4 वर्ग फीट, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में मुंशी धाकड़ का घर, पश्चिम में आम सड़क, उत्तर में महावीर धाकड़ का घर, दक्षिण में प्रल्हाद धाकड़ का घर।	05-Apr-26	05 मई 2026/ रु.1247069/- दिनांक 30 अप्रेल 2026 के अनुसार
3	महेंद्र कुमार बंजारा/रेखा देवी बंजारा 102MSM001120473	पट्टा संख्या 52, ग्राम सुजातलाई, ग्राम पंचायत बंसिया, पंचायत समिति सिमलवारा, जिला डूंगरपुर (अर्जी संख्या 2474) स्थित आवासीय संपत्ति जिसमें उस पर बनी भुखण्ड संरचना भी शामिल के समस्त खंड व हिस्से, अधिमापन क्षेत्र 1440 वर्ग फीट, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में मालिक की भूमि, पश्चिम में गुलाब पुत्र राजू बंजारा का घर, उत्तर में मालिक की भूमि, दक्षिण में मालिक का पशुघर और फिर सीसी रोड।	03-Oct-25	05 मई 2026/ रु.902726/- दिनांक 30 अप्रेल 2026 के अनुसार

अतः आपसे, ऋणी(ओं) और सह-ऋणी(ओं)/गारंटर(ओं) से अनुरोध है कि आप उपर्युक्त मांगी गई राशि का भुगतान, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, अतिरिक्त ब्याज सहित, इस मांग सूचना के 60 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से करें। ऐसा न करने पर, अधोहस्ताक्षरी उपर्युक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को लागू करने के लिए सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत कार्वाई करने के लिए बाध्य होंगे। आपका ध्यान ऊपर उल्लिखित सुरक्षित आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको हमारी सहमति के बिना उपर्युक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा किसी भी प्रकार से हस्तांतरित करने से रोका जाता है।

स्थानः राजस्थान
दिनांक: 20.05.2026

कृते जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
(मॉर्गेज रिटेल ए 2024 - ट्रस्ट ('जेएमएफएआरसी') के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत)
हस्ताक्षरित/- प्राधिकृत अधिकारी